"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जनवरी 2013—पौष 25, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक 376/डी. 10/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह 1 नवम्बर 2000 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

अध्याय 6-क का लोप.

2. छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र. 3 सन् 1931) के आ-सुधार अंशदान से संबंधित, अध्याय 6-क का लोप किया जाए.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्रमांक 376/डी. 10/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 2 of 2013)

CHHATTISGARH IRRIGATION (AMENDMENT) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. III of 1931).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Re-public of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Irrigation (Amendment) Act, 2012. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall be deemed to have come into force from 1st November, 2000.

2. Chapter VI-A of the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. III of 1931), relating to "Betterment Contribution", shall be omitted. **Omission of Chapter VI-A.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.